फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गटुबाई **विपक्षी : श्री नूर मोहम्मद**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 06/16**

जीसीएमएस : 2016/00426

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	
	दिनांक : 20.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 9 मय विपक्षी अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की पूर्व पेशी पर एकरतफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि अलानुर पिता घासी खां मुसलमान के नाम पर दर्ज थी जिसे अलानुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.11.2015 से विपक्षी सं. 2, 3 को विक्रय करना जाहिर होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अलानुर के भाई नूर मोहम्मद द्वारा फर्जी तरीके से विक्रय पत्र निष्पादन करवाया जाकर विक्रय करना बताया क्योंकि अलानुर लाऔलाद फौत हो चुका था। प्रार्थीगण द्वारा फर्जी विक्रय पत्र निष्पादन करवाने पर विपक्षी सं. 1 नूर मोहम्मद पर पुलिस थाना घासा में दिनांक 01.01.2016 को वाद दायर करवाया गया हैं। अलानुर व विपक्षी सं. 1 नूर मोहम्मद आपस में भाई होकर नूर मोहम्मद को नबीबक्ष निवासी लकडवास के गोद जाने बताया। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। प्रकरण में दिनांक 28.03.2016 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी। मामला पैतृक भूमि में घोषणा के हक अधिकारो का है यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। अतः विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1846, 2413, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424 किता 10 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.09.25 10:29:23 IST Reason: SelfAttested	